बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 92/12–13

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कार्यालय, सीतामढ़ी।

(ख) अंकेक्षण का अवधि – विविध वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

जानकारी उपलब्ध नही करायी गई।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम/पदनाम एंव कार्यकाल –

1. श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा, सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार (से0 न्यायाधीश) दि0 10.11.2008 से 31.3.2011
2. श्री सुरेन्द्र भगत, प्रतिनियुक्त लिपिक सह सचिव दि0 10.11.2008 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम , पदनाम –

1. श्री सुरेन्द्र भगत , प्रतिनियुक्त लिपिक सह सचिव।

(छ) अंकेक्षको के नाम – 1. श्री कुमार गंगा नन्द सिंह , व0 अं0– 2

2. श्री बनारसी प्रसाद यादव ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 04.06.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 14.07.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $18\frac{1}{1}$ कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15. 09.60 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – सीतामढ़ी जिला अर्न्तगत शिक्षक नियोजन से सम्बन्धित प्रतिवादों का सुनवाई एवं कार्यान्वयन ।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन/ अनुदान

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : – वर्ष 08–09 से 10–11 के अर्न्तगत जिला शिक्षक नियोजन प्राधिकार कार्यालय द्वारा कोषागार से किसी प्रकार की निकासी एवं जमा नही किया गया था। अतः कोषागार सत्यापन नही किया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय का गठन वर्ष 08–09 में होने के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय द्वारा निरीक्षण कार्य नही किया गया था।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा वर्त्तमान अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षण नही किया गया था।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है ? – नही।

(2) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान राशि से अधिक राशि का व्यय किया गया है– नही।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण– पत्र प्रशासी विभाग की प्रेषित किया गया था – हाँ

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष की राशि का भौतिक सत्यापन :– अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को रोकड़ पुस्त के अंतः शेष की राशि शून्य अंकित किया गया था फलतः नकद राशि के भौतिक सत्यापन नही किया गया।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– लेखा वर्ष 08–09 से 10–11 तक के प्रारम्भण एवं अंतिम रोकड़ की स्थिति निम्नवत् पायी गयी –

दि0 01.04.08 (07.01.09) – 348000.00

दि0 31.03.09 – 206991.00

दि0 31.3.10 – 401538.00

दि0 31.03.11 – 19294.00

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कार्यालय सीतामढ़ी का वर्ष 08–09 में गठन के पश्चात् सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 4240 दिनांक 23.12.08 के द्वारा रू0 348000.00 दि0 07.01.09 को प्राप्त जिसे प्राधिकार के बचत खाता (बैंक ऑफ इन्डिया) सं0 303923419 में जमा किया गया था। इस कार्यालय को प्राप्त आय एवं व्यय विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि वित्तीय वर्ष में व्यय के पश्चात् शेष राशि को कोषागार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा नही कर अगले वित्तिय वर्ष में व्यय किया गया था, जो बिहार वित्तिय नियमावली के भाग–1 के नियम 300 के विरूद्ध है। वित्तिय वर्ष 10–11 का आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राप्त हुआ था, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने

स्तर से निकासी कर प्राधिकार कार्यालय को चेक सं0 999522 दि0 27.01.2011 के द्वारा प्राप्त कराया गया था। प्राधिकार कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 10–11 में को अवशेष राशि में से चेक सं0 191124 दि0 13.01.2011 के द्वारा रू0 2226077.00 सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को वापस किया गया था।

वेतन भुगतान के जाँच क्रम में पाया गया कि प्राधिकार के सदस्य को प्रतिमाह वेतन एवं भत्ता का भुगतान किया गया है, इसके प्रमाणिकता की जाँच एवं सत्यापन हेतु कार्यालय से सम्बन्धित व्यक्तियों का अन्तिम वेतन प्रमाण– पत्र, पेंशन निर्धारण से सम्बन्धित पत्र, महालेखाकार द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा की माँग के बाबजूद अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। वेतन भुगतान से सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख प्रतिवेदन के कंडिका ''9'' पर किया गया है।

कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान की जाँच में पाया गया कि कम्प्यूटर क्रय किये बिना ही कम्प्यूटर आपरेटर की माँग कर कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया एवं भुगतान किया गया था। कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित उल्लेख कंडिका ''7'' पर किया गया है।

प्राधिकार कार्यालय के मकान भाड़ा मद में व्यय दर्शाया गया है। मकान भाड़ा मद में व्यय की गई राशियों की जाँच में पाया गया कि भिन्न – भिन्न व्यक्तियों को मकान भाड़ा का भुगतान नकद किया गया था। जाँच में पाया गया कि मकान भाड़ा का निर्धारण सक्षम पदाधिकारी द्वारा नही कराया गया था और न ही मकान मालिक से एकरारनामा कराया गया था।

आकस्मिकता व्यय की जाँच में पाया गया कि खरीद की गई सामग्रीयों से सम्बनिधत भंडार पंजी का संधारण नही किया था और न ही क्रय किये गये सामग्रियों के अभिश्रव पर कार्यालय कर्मी द्वारा प्राप्ति दर्शाया गया था। जो एक गंभीर अनियमितता का घोतक है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी कार्यालयों में लेखा संधारण हेतु जो नियम प्रतिपादित किये गये है, उसकी सर्वथा अनदेखी की गई है।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक /कम	अभ्युक्ति
1	प्राधिकार के सदस्य	01	01	—	—
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	01	—/01	
3	सचिव (लिपिक)	01	01	—	
4	पदचर	01	शून्य	/01	

उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का सुझाव दिया जाता है ताकि कार्यालय का सुचारू रूप से संचालन हो सके।

भाग— 2

(5) अनियमित महँगाई भत्ता भुगतान की गई राशि रू0 202675.00 वसूली योग्य :—

वेतन भुगतान पंजी की जाँच क्रम में पाया गया कि प्राधिकार के सदस्य श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा को अंकेक्षण अवधि के अर्न्तगत दि0 06.11.2008 से माह मई 2010 तक भुगतेय वेतन पर महँगाई भत्ता का भुगतान किया गया है। उक्त अवधि में श्री वर्मा को महँगाई भत्ता के मद में रू0 202675.00 का भुगतान किया गया है। जबकि पुर्ननियोजित सदस्यों के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 3153 दिनांक 25.8.2008 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा

निवृत सदस्यों को उनके सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन (+) 50 प्रतिशत मं0 वेतन में से मूल पेंशन की राशि (महँगाई भत्ता रहित) घटाने के पश्चात् शेष राशि ही भुगतेय है।

अतः मानव संसाधन विकास विभाग के प्रावधान के विपरित महँगाई भत्ता मद में भुगतान की गई राशि रू0 202675.00 जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है, सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली योग्य है। वसूली गयी राशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा अथवा विभाग को वापस किया जाय एवं कृत कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(6) वेतन एवं भत्ता में भुगतान की गयी राशि रू0 4743.00 वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा, सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी को दिनांक 06.11.08 से 09.11.08 तक कुल चार दिनो का वेतन एवं भत्ता का भुगतान प्रतिमाह क्रमशः रू0 16618.00 एवं परिवहन भत्ता रू0 10000.00 की दर पर वेतन रू0 2215.00 महँगाई भत्ता रू0 1196.00 एवं परिवहन भत्ता रू0 1332.00 कुल रू0 4743.00 का भुगतान दि0 05.11.09 को किया गया था। जाँच क्रम में पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा प्राधिकार कार्यालय, सीतामढ़ी में दि0 10.11.08 के पूर्वासन में योगदान किया गया था एवं इसकी सूचना प्राधिकार कार्यालय के ज्ञापांक 02 दि0 10.11.08 के द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग को भेजी गयी थी। प्राधिकार कार्यालय में योगदान करने की तिथि से पूर्व तिथि 06.11.08 से दि0 09.11.08 तक भुगतान करने के सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया।

अतः दि0 06.11.08 से 09.11.08 तक की अवधि के लिए भुगतान की गई वेतन एवं भत्ता की कुल राशि रू0 4743.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर उचित शीर्ष में जमा अथवा विभाग को वापस किया जाय एवं कृत कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(7) रू0 1773.00 वैट की कटौती नही किये जाने के कारण राजसव की क्षति :–

कम्प्यूटर क्रय से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि इससे प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियों की खरीद स्थानीय स्तर पर किया गया था तथा खरीद की गयी सामग्रियों का भुगतान वैट सहित किया गया था। इससे सम्बन्धित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर दिया गया है। विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि क्रय किये गये सामग्रियों के मूल्य एवं उस पर लगने वाले वैट की राशि को मिलाकर कुल रू0 17326.67 का भुगतान किया गया था, जिसमें वैट की राशि रू0 1773.00 सम्मिलित था। जबकि बिहार मूल्य वाछिंत कर नियमावली 2005 के नियम 28 एवं 29 के प्रावधानानुसार सरकारी कार्यालयों हेतु सामान की खरीद करते समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वैट की राशि की कटौती के पश्चात् जो शेष राशि बचेगी आपूर्त्तिकर्त्ता को उतनी ही राशि का भुगतान करना है, और काटी गयी राशि को उचित शीर्ष में जमा करना है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इस परिपेक्ष्य में आवश्यक कारवाई करते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से कर 0040 शीर्ष में जमा करायी जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(8) समाचार पत्र क्रय पर किया गया अनियमित व्यय रू0 480.00 वसूली योग्य :–

वित्त विभागीय परिपत्र सं0 एम 4–11/2006– 2947 वि0 (2) दिनांक 09.05.2006 के द्वारा सरकारी खर्च पर समाचार पत्र की आपूर्त्ति के सम्बन्ध में जो आदेश निर्गत किया गया है, उसके अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी खर्च पर समाचार पत्र की आपूर्त्ति केवल प्रमंडलीय आयुक्त, आरक्षी महानिरिक्षक, उप महानिरिक्षक, जिला समाहर्त्ता एवं आरक्षी अधिकक्षक को ही किया जाना है। इस लेखा की जाँच में पाया गया कि आकस्मिकता मद की राशि से रू0 480.00 का भुगतान समाचार पत्र के खरीद पर व्यय किया गया है। इसके व्यय से सम्बन्धित विवरणी

प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड़'' पर दिया गया है। इस प्रकार वित्त विभाग के आदेश के विपरित अनियमित रूप से रू0 480.00 का व्यय किया गया था जो सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इस परिपेक्ष्य में आवश्यक कारवाई करते हुए इसकी वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाय और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(9) वेतन मद में भुगतान की गयी राशि रू0 310768.00 आपत्तिअर्न्तगत :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सीतामढ़ी के सदस्य पद पर श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा से0 नि0 न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.11.08 को अपना योगदान दिया गया। योगदान के पश्चात् श्री वर्मा को सदस्य के पद पर बने रहने की तिथि 31.12.11 तक प्रतिमाह वेतन रू0 16618.00 एवं उसपर देय अन्य भत्ते का भुगतान किया गया था। उपर्युक्त वेतन की राशि सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि घटाने के पश्चात् दर्शायी गयी थी। उपरोक्त प्रतिमाह दिये जानेवाले वेतन के प्रमाणिकता की जाँच एवं कल्पान हेतु सम्बन्धित सदस्य का सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, पेंशन निर्धारण प्रपत्र तथा महालेखाकार द्वारा निर्गत पुर्जा की माँग के बाबजूद भी उसे अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त साक्ष्य को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही करने के कारण भुगतान की गयी राशि के अनुमान्यता की जाँच एवं सत्यापन नही की जा सकी। उक्त भुगतान से सम्बन्धित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर उल्लिखित किया गया है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि श्री वर्मा को वेतन मद में भुगतान की गई कुल राशि रू0 310768.00 को अपने स्तर से जाँच कर लिया जाय जाँचोपरान्त परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार,

पटना को अवगत कराया जाय तबतक उक्त भुगतान की गयी राशि को आपत्तिअर्न्तगत रखा जाता है।

(10) कार्यालय के मकान भाड़ा मद में व्यय की गयी राशि रू0 81600.00 आपत्तिअर्न्तगत :–

रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष की जाँच में पाया गया कि कार्यालय के मकान भाड़ा मद में पाया गया कि कार्यालय के मकान भाड़ा मद में मार्च 09 से मई 10 तक प्रतिमाह रू0 3200.00 की दर से रू0 48000.00 श्री कमल सहगल एवं जून 10 से जनवरी 11 तक प्रतिमाह रू0 4200.00 की दर से रू0 33600.00 श्री महेश कुमार ठाकुर को भुगतान किया गया था, जिसकी पावती के रूप में श्री सहगल एवं श्री ठाकुर से सादी कागज पर अभिश्रव बनावाकर लिया गया था। जाँच क्रम में पाया गया कि उक्त भुगतान जिन अभिश्रवों के माध्यम से किया गया था उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित भी नही किया गया था और नही उसे भुगतान के पश्चात् रहा किया गया था। उक्त भुगतान के साक्ष्य स्वरूप मकान भाड़ा से सम्बन्धित संचिका एवं एकरारनामा की माँग किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया मकान मालिक और कार्यालय के बीच नही अपनाई गयी है और न ही किराया का निर्धारण अनुमंडलाधिकारी द्वारा कराया गया है। उपरोक्त भुगतान से संबंधित विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर दिया गया है। मकान भाड़ा मद में भुगतान भी चेक के माध्यम से नही कर नकद किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी कार्यालयों के मकान भाड़ा निर्धारण हेतु जो प्रावधान है, उसकी अनदेखी की गई है जो एक गंभीर आपत्ति है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार मकान मालिक से एकरारनामा कर तथा अनुमंडलाधिकारी से किराया का निर्धारण करवा कर उक्त भुगतान की गयी राशि को नियमित किया जाय तबतक भुगतान की गयी राशि रू0 81600.00 आपत्तिअर्न्तगत रखा जाता है।

(11) रू0 68914.00 के मानदेय भुगतान की राशि आपत्तिर्न्तगत :–

कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति एवं मानदेय भुगतान की जाँच में पाया गया कि कार्यालय कार्य हेतु कम्प्यूटर का क्रय दिनांक 07.06.2010 को किया गया था। जबकि कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता को दर्शाते हुए इस कार्यालय पत्रांक 85 दिनांक 25.02.2009 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी से कम्प्यूटर ऑपरेटर की माँग की गयी थी। प्राधिकार कार्यालय द्वारा माँग के पश्चात् जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रीक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन पटना से दो ऑपरेटरों की नियुक्ति हेतु एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार दानों ऑपरेटरों को प्रतिमाह रू0 5755.00 की दर से मानदेय पर अगले छः माह के लिए प्राधिकार कार्यालय में कार्य करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी ने पत्रांक 595 दिनांक 11.04.09 द्वारा योगदान करने हेतु भेजा गया। उक्त का के आलोक में श्री रितेश कुमार सिन्हा एवं गोविन्द कुमार द्वारा दि0 13.04.09 के पूर्वाळन में प्राधिकार कार्यालय में योगदान दिया गया। योगदान के पश्चात् दानो ऑपरेटरो को मानदेय का भुगतान बिहार स्टेट इलेक्ट्रीक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन से प्राप्त विपत्र के आधार पर प्रतिमाह रू0 5755.00 की दर से एकरारनामा की अवधि दिनांक 13.04.09 से 12.10.09 तक के लिए कुल राशि रू0 68914.00 का भुगतान किया गया था। भुगतान की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''छ'' पर दिया गया है। उपरोक्त दोनो ऑपरेटरों के एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसके सेवा विस्तार हेतु वेल्ट्रोन से पुनः एकरारनामा कर अगले पाँच माह के लिए जिला शिक्षा पदा0 सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक 04 दि0 5.01.10 के द्वारा प्राधिकार कार्यालय में योगदान देने हेतु भेजा गया, परन्तु प्राधिकार कार्यालय ने अपने पत्रांक 01 दि0 05.01.10 के द्वारा यह कहते हुए योगदान लेने से इन्कार कर दिया कि कम्प्यूटर का क्रय नही किये जाने के कारण इनको वेतन का भुगतान करना सरकारी राशि का दुरूपयोग होगा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन

एवं प्राधिकार कार्यालय के स्वयं की टिप्पणी कि बिना कम्प्यूटर के कम्प्यूटर ऑपरेटर का भुगतान राशि का दुरूपयोग होगा तो किस परिस्थिति में पूर्व में उक्त अवधि का भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वरीय पदाधिकार द्वारा बिना कम्प्यूटर के ऑपरेटरों को मानदेय भुगतान की वस्तुस्थिति की छानबीन कर तदनुरूप कारवाई करने का सुझाव दिया जाता है कि गयाी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया गया। तत्काल भुगतान की गयी राशि रू0 68914.00 को प्रापत्ति अर्न्तगत रखा जाता है।

भाग– 3

(12) रू0 16699.00 सूद की राशि को रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविष्टि का सुझाव :–

प्राधिकार कार्यालय द्वारा संधारित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के बचत खाता संख्या 3039234194 में जमा एवं निकासी की गयी राशियों के सत्यापन क्रम में पाया गया कि प्राधिकार कार्यालय को वर्ष 08–09 से 10–11 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राशियों को उक्त बचत खाता में जमा किया गया था जो निम्न प्रकार है –

दि0 07.02.09 – 348000.00

दि0 07.11.09 – 694000.00

दि0 01.02.11 – 195000.00

कुल रू0 – 1237000.00

उपर्युक्त जमा राशि में से समय– समय पर निकासी के पश्चात् जमा शेष राशि पर बैंक द्वारा ब्याज दिया गया था और उसे बैंक पास बुक के कुल जमा शेष में दर्शाया गया था जो निम्न प्रकार है –

दि0 30.06.09 – 2642.00

दि0 31.12.09 – 3716.00

दि0 31.05.10 – 5674.00

दि0 30.11.10 – 4667.00

कुल योग– 16699.00

इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के अर्न्तगत कुल उदभूत ब्याज रू0 16699.00 पास बुक के आय पक्ष में अंकित करते हुए जमा शेष में जोड़ा गया था। परन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त राशि को प्राधिकार द्वारा संधारित रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में नही लाया गया था फलस्वरूप रोकड़ पुस्त का संवरण शेष पुस्त जमा राशि से रू0 16699.00 कम रहा । जो एक गंभीर वित्तीय अनियमिता का घोतक है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त सूद की राशि को रोकड़ पुस्त के आय – पक्ष में सम्मिलित कराकर रोकड़ पुस्त के संवराण शेष को नियमित किया जाय एवं कृत कारवाई के फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(13) रोकड़ पुस्त का नियमानुसार संधारण नही करने के सम्बन्ध में :–

लेखा के जाँच क्रम में पाया गया कि बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम – 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार के रोकड़ पुस्त का संधारण नही किया गया था। रोकड़ पुस्त के लिए निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रत्येक लेन– देन की राशि को तिथिवार अंकित नही कर मनमाने ढंग से प्रावधानों के विपरित लिखा गया था। रोकड़ पुस्त का संधारण मदवार नही किये जाने के कारण संवरण रोकड़ शेष में लंबित राशि का मद की स्थिति स्पष्ट नही था। रोकड़ पुस्त में अंकित व्ययों की अभिश्रव सं0 आदि का उल्लेख नही किा गया था। प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय प्रधान द्वारा संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर आशय का प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकत करना आवश्यक था, परन्तु पुरे अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार का कोई सत्यापन नही किया गया था।

अतः भविष्य में उपरोक्त त्रुटियों का पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(14) स्थायी एवं अस्थायी भंडार पंजी का संधारण अपेक्षित :–

बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 132 के प्रावधानानुसार कार्यालय में प्राप्त सभी सामग्रियों की जाँच एवं गणना के पश्चात् तत्सम्बन्धी प्रमाण अभिश्रव पर अंकित कर सामग्री को भंडार पाल द्वारा भंडार पंजी में प्रविष्टि करना है। परन्तु लेखा जाँच के क्रम में स्थाई एवं अस्थाई भंडार पंजी का संधारण नही किये जाने के फलास्वरूप भंडार पंजी उपलब्ध नही कराया गया। साथ ही डाक टिकट के क्रय एवं उसे भी भंडार पंजी में आमद एवं खर्च का व्योरा से सम्बन्धित भंडार पंजी का संधारण नियमानुकुल नही किया गया था।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि स्थायी एवं अस्थायी सामग्री भंडार पंजी का संधारण कराकर उसमें कार्यालय को प्राप्त सामग्रियों की प्रवृष्टि कराया जाय और समय– समय पर उसमें दिखायी गयी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1)

(2)

<u>परिशिष्ट "क"</u>

<u>कंडिका 1 'ट' से सम्बन्धित</u>

<u>प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–</u>

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. रोकड़ पंजी
2. वेतन भुगतान पंजी
3. बैंक पासबुक
4. अनुदान सम्बन्धी पत्र
5. आकस्मिकता अभिश्रव

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. वेतन निर्धारण संचिका
2. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र
3. पेंशन निर्धारण पत्र
4. भंडार पंजी
5. चेक की अद्यकट्टी

परिशिष्ट "ख"

कंडिका 3(v) से सम्बन्धित

वर्ष 08–09 में प्राप्त अनुदान राशि की विवरणी :–

क्र0	इकाई का	प्रा0 शेष	प्राप्त	कुल राशि	व्यय	बचत	अभ्युक्ति

	नाम		अनुदान				
1	वेतन	—	120000.00	120000.00	94686.00	25314.00	
2	वाहन भत्ता	—	60000.00	60000.00	36993.00	23007.00	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	—	84000.00	84000.00	—	84000.00	
4	कार्यालय भाड़ा	—	60000.00	60000.00	—	60000.00	
5	आकस्मिकता	—	24000.00	24000.00	9330.00	14670.00	

वर्ष 09–10

क्र0	इकाई का नाम	प्रा0 शेष	प्राप्त अनुदान	कुल राशि	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	वेतन	25314.00	240000.00	265314.00	252051.00	21675.00	
2	वाहन भत्ता	23007.00	120000.00	143007.00	121332.00	103544.00	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	84000.00	84000.00	168000.00	64456.00	60000.00	
4	कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव	—	60000.00	60000.00	—	141600.00	
5	कार्यालय भाड़ा	60000.00	120000.00	180000.00	38400.00	61506.00	
6	आकस्मिकता	14670.00	70000.00	84670.00	23164.00	61506.00	

वर्ष 10–11

क्र0	इकाई का नाम	प्रा0 शेष	प्राप्त अनुदान	कुल राशि	व्यय	बचत	अभ्युक्ति

1	वेतन	13263.00	175000.00	188263.00	170157.00	18106.00	
2	वाहन भत्ता	21675.00	10000.00	31675.00	30000.00	1675.00	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	103544.00	—	103544.00	36408.00	67136.00	
4	कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव	60000.00	—	60000.00	61810.00	(—1810.00)	
5	कार्यालय भाड़ा	141600.00	—	141600.00	43000.00	98600.00	
6	आकस्मिकता	61506.00	10000.00	71506.00	9842.00	61664.00	
						245371.00	

चेक सं0 191124 दि0 13.01.11 (–) 226077.00

के द्वारा जिला शिक्षा पदा0 सीतामढ़ी को वापस

दि0 31.03.2011 का सं0 शेष – रू0 19294.00

परिशिष्ट "ग"

(कंडिका – 5 एवं 9 से सम्बन्धित)

श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा, सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सीतामढ़ी के वेतन एवं महँगाई भत्ता के भुगतान से सम्बन्धित विवरणी ।

क्रमांक	माह का नाम	भुगतान तिथि	वेतन	महँगाई भत्ता	अभ्युक्ति
1	दि0 10.11.08 से 30.11.08	13.02.09	11644.00	6269.00	
2	दिसम्बर 08	13.02.09	16618.00	8973.00	
3	जनवरी 09	13.02.09	16618.00	8973.00	
4	फरवरी 09	02.03.09	16618.00	8973.00	
5	मार्च 09	03.04.09	16618.00	8973.00	
6	अप्रील 09 से अक्टूबर 09	05.11.09	116326.00	62811.00	
7	जनवरी 09 से अक्टूबर 09 (बकाया महँगाई भत्ता)	15.11.09	—	16610.00	
8	नवम्बर 09	13.12.09	16618.00	10639.00	
9	दिसम्बर 09	07.02.11	16618.00	10639.00	
10	जनवरी 10 से मई 10	07.02.11	83090.00	59815.00	
		कुल योग—	310768.00	202675.00	

परिशिष्ट "घ"

कंडिका — 7 से सम्बन्धित

वैट की कटौती नही से सम्बन्धित विवरणी :—

क्र0	आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम/पता	आपूर्त्तिकर्त्ता का अभिश्रव सं0/तिथि	भुगतान तिथि	आपूर्त्ति की गई सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य	वैट की राशि	कुल भुगतान की राशि (निकटतम रू0 में)	अभ्युक्ति
1	बिहार रेडीयों हाउस जवाहर चौक, सीतामढ़ी	08/ 10.06.10	10.06. 10	एक्साइड बैट्री इनमा कुलर 500 (एम0 एफ0)	9333.45	1166. 68	10500.13	
2	तदैव	47/ 10.06.10	10.06. 10	माइक्रोटेक, यू0 पी0 एस0	4615.40	184.61	4800.00	
3	तदैव	48/ 10.06.10	10.06. 10	भोल्टेज स्टेबलाइजर 2 के0 भी0 ए0	3377.82	422.22	3800.00	
				कुल योग–	17326.67	1773. 51	19100.00	

परिशिष्ट "ड़"

कंडिका – 8 से सम्बन्धित

समाचार पत्र की क्रय पर अनियमित से सम्बन्धित विवरणी

क्र0	समाचार पत्र का नाम	माह का नाम	दिनों की संख्या	दर	भुगतान तिथि	भुगतान की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	अप्राप्त	20.08.09 से 19.09.09	30 दिन	4.00	3.10.09	120.00	
2	अप्राप्त	जुलाई 10	31 दिन	4.00	3.08.10	124.00	
3	अप्राप्त	अगस्त 10	30 दिन	4.00	4.09.10	120.00	
4	अप्राप्त	सितम्बर 10	29 दिन	4.00	4.10.10	116.00	

कुल योग– 480.00

परिशिष्ट "च"

(कंडिका – 10 से सम्बन्धित)

कार्यालय के मकान भाड़ा मद में व्यय की गयी राशि से सम्बन्धित विवरणी :–

क्र0	माह का नाम	प्राप्त कर्त्ता का नाम	भुगतान तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	मार्च 2009	श्री कमल सहगल	01.04.09	3200.00	
2	अप्रील 2009	तदैव	01.05.09	3200.00	
3	मई 2009	तदैव	01.06.09	3200.00	
4	जून 2009	तदैव	01.07.09	3200.00	
5	जुलाई 2009	तदैव	02.08.09	3200.00	
6	अगस्त 2009	तदैव	03.09.09	3200.00	
7	सितम्बर 2009	तदैव	01.10.09	3200.00	
8	अक्टूबर 2009	तदैव	01.11.09	3200.00	
9	नवम्बर 2009	तदैव	02.12.09	3200.00	
10	दिसम्बर 2009	तदैव	02.01.10	3200.00	
11	जनवरी 2010	तदैव	02.02.10	3200.00	
12	फरवरी 2010	तदैव	03.03.10	3200.00	
13	मार्च 2010	तदैव	02.04.10	3200.00	
14	अप्रील 2010	तदैव	03.05.10	3200.00	
15	मई 2010	तदैव	01.06.10	3200.00	
16	जून 2010	श्री राम कुमार ठाकुर	01.07.10	4200.00	
17	जुलाई 2010	तदैव	01.08.10	4200.00	
18	अगस्त 2010	श्री महेश कुमार ठाकुर	02.10.10	4200.00	
19	सितम्बर 2010	तदैव	05.10.10	4200.00	
20	अक्टूबर 2010	श्री राम कुमार ठाकुर	01.11.10	4200.00	
21	नवम्बर 2010	तदैव	03.12.10	4200.00	
22	दिसम्बर 2010	श्री महेश कुमार ठाकुर	05.01.11	4200.00	
23	जनवरी 2011	तदैव	05.02.12	4200.00	
			कुल योग–	81600.00	

परि

शष्ट "छ"

कंडिका – 11 से सम्बन्धित

कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय भुगतान से सम्बन्धित विवरणी

क्र0	माह का नाम	भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम	भुगतान की राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	13.04.09 से 30.04.09	1 श्री रितेश कुमार सिन्हा 2 श्री गोविन्द कुमार	3453.00 3453.00	6906.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 062759 दि0 22.06.09 के द्वारा बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनीक्स कॉरपोरेशन को भुगतान हेतु प्रेषित।
2	मई 2009	तदैव	5755.00 5755.00	11510.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 062694 दि0 14.06.09 द्वारा प्रेषित । तदैव
3	जून 2009	तदैव	5755.00 5755.00	11510.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 302091 दि0 5.11.09 द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित ।
4	जुलाई 2009	तदैव	5755.00 5755.00	11510.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 31132 दि0 5.8.09 द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित ।
5	अगस्त 2009	तदैव	5755.00 5755.00	11510.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 140027 दि0 12.09.09 द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित ।
6	सितम्बर 2009	तदैव	5755.00 5755.00	11510.00	चेक सं0 156264 दि0 29.09.09 के द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित।
7	01.10.09 से 12.10.09	तदैव	2229.00 2229.00	4458.00	बैंक ड्राफ्ट सं0 303428 दि0 03.02.10 द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित ।
			कुल योग–	68914.00	